

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अनु सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक २। मार्च, 2018

विषय :— हाथरस में पीलीभीत—भरतपुर मार्ग (एस0एच0-33) किमी0 219 से 220 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम हाथरस देहात के खसरा सं0-176 में एस्सार ॲॉयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.02775 हेतु संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को संबोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या—8बी/यूपी/06/40/2016/एफसी/902 दिनांक 15.03.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2— विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 15.03.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना तत्सम्बन्धी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

*m/n/m/s*  
(मनोज कुमार सिंह)  
अनु सचिव।